रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 585] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 13, 2014/कार्तिक 22, 1936
No. 585] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 13, 2014/KARTIKA 22, 1936

Indiacode

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 नवम्बर , 2014

सा.का.नि.797(अ).—केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी नियम, 1971 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित प्रारूप नियम जिसे कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय कीटनाशी बोर्ड के परामर्श से भारत सरकार के कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) की अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 5 मार्च, 2014 में सं. सा.का.नि. 151(अ) तारीख 5 मार्च, 2014 द्वारा प्रकाशित की गई थी, उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्त होने से पूर्व आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे ;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां तारीख 5 मार्च, 2014 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और उक्त प्रारुप नियमों पर प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर सरकार से विचार कर लिया है ;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय कीटनाशी बोर्ड के परामर्श के पश्चात् कीटनाशी नियम, 1971 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कीटनाशी (संशोधन) नियम, 2014 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. कीटनाशी नियम, 1971 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में,-

1. नियम 18 के उपनियम (1) के खंड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"(ज) लेबल पर दी गई जानकारी हिन्दी में और अंग्रेजी में अनुवादित होगी और पर्चियों पर हिन्दी, अंग्रेजी और प्रदेश में जहां विक्रय के लिए उत्पाद प्रस्तावित है, की प्रादेशिक भाषाओं में प्रकाशित होगा ;

(झ) पत्रक सुस्पष्ट मुद्रित होगा और पाठ मुद्रण का आकार आठ (8) बिन्दु या दो मिलीमीटर से कम नहीं होगा ;

(ञ) सुरक्षा चित्रलेख लेबल और अन्य पर, यदि कोई हों, उपलब्ध होंगे, पर्चियों पर भी मुद्रित होंगे ;

(ट) विषाक्तता के मामलों में उपचार के लिए चिकित्सक को सलाह के ब्यौरे पर्ची पर अंतर्विष्ट होंगे ;

(ठ) लक्ष्यित जीव और फसल के संदर्भ के साथ उपयोग के लिए लेबल दावे और निदेश के ब्यौरे पर्ची पर मुद्रित होंगे ;

(ड) कीटनाशी उपयोग की तकनीक से संबंधित अच्छे व्यवहार के अंतर्गत प्रत्येक फसल के लिए निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :—

(i) मौसम दशाएं

(ii) मृदा

(iii) उपयोग के लिए फसल की प्रास्थिति

(iv) उपयोग तकनीक

(v) उपस्कर प्रकार

(vi) नोजल प्रकार

(vii) मात्रा

(viii) मिश्रण के लिए अनुदेश

(ix) पुनःप्रयोग की अवधि

(x) पूर्व फसल का अंतराल

(xi) उपयोग का समय निर्धारण

(xii) आवृत्ति जिसके अंतर्गत छिड़काव की अधिकतम संख्या

(ढ) प्रास्थिति जिसके दौरान कीटनाशी किसी फसल पर अनुपयुक्त नहीं होंगे, नहीं दी जाएगी ;

(ण) फायदाप्रद कीटो जैसे मधुमक्खी को क्षति से बचाने के उपाय करने की सावधानियां और कीटों के प्राकृतिक शत्रुओं को उपलब्ध कराना ;

(त) पत्रकों में परिरुद्ध क्षेत्र, जैसे ग्लास हाऊस, पाली हाऊस, नर्सरी बेड, भंडारण संरचनाएं, प्रधूमन कक्ष और लोक निवासों में नाशक कीटमार के उपयोग के लिए अपनाएं जाने वाले व्यवहार भी अंतर्विष्ट होंगे ;

(थ) उपयोगकर्त्ताओं के लिए सावधानी निर्देश आधानों के पुनः उपयोग के लिए नहीं - "रिक्त आधान पुनः उपयोग के लिए खतरनाक" मोटे अक्षरों में मुद्रित होगा ;

(द) उपयोग किए गए आधानों के सुरक्षित निपटान के लिए निर्देश उपबंध किए जाएंगे ;

(ध) सभी उपयोगकर्त्ताओं का ध्यान आकर्षित करने को समुचित रंगों में या सुस्पष्ट अक्षरों में मुद्रित पत्रकों पर अनुदेश होंगे ;

(न) कंपनी अपनी वेबसाइट पर लेबल और पत्रकों के संबंध में सभी जानकारी उपलब्ध कराएगी और पत्रकों पर वेबसाइट का पता मुद्रित होगा ;

(प) नाशक कीटमार सूत्र के लिए पत्रक नियम 19 के खंड 1. (i) के अनुसार प्राथमिक और द्वितीयक पैकिंग के बीच में अंतःस्थापित या रखा जाएगा ;

(2) नियम 19 में,--

(क) उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(1)(i) आयाताकार आद्यान के संबंध में न्यूनतम दो पैनल और बोतल के संबंध में तीन पैनल का लेबल होगा । आद्यान के सम्मुख की ओर लगा हुआ दो पैनल लेबल का न्यूनतम आकार एक सौ तीस वर्ग सेंटीमीटर से अन्यून नहीं होगा । तीन पैनल लेबल का न्यूनतम आकार दो सौ दस वर्ग सेंटीमीटर से अन्यून नहीं होगा ।

लेबल पर निम्नलिखित जानकारी मुद्रित होगी :-

(I) दो पैनल का लेबल (वर्गाकार/आयाताकार आद्यान या थैली के लिए):

क. लेबल के सम्मुख :

पैनल के बाईं ओर का आकार छह सेंटीमीटर गुणा दस सेंटीमीटर होगा जिस पर अंग्रेजी में निम्नलिखित जानकारी अंतर्विष्ट होगी :

(क) कीटनाशी का नाम (ब्रांड नाम या व्यापार चिन्ह का नाम जिसके अधीन कीटनाशी विक्रय किया जा रहा है);

IndiaCode

(ख) सामान्य नाम ; अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन या भारतीय मानक संस्थान द्वारा स्वीकृत और यदि कोई सामान्य नाम विद्यमान नहीं है, वास्तविक रासायनिक नाम, जो अत्यधिक निकट की पुष्टि करता हो, के साथ रासायनिक नामकरण के साधारण सिद्धांत के अनुसार दिया गया हो ;

(ग) ''उपयोग से पहले पत्रक पढ़े'' अनुदेश ;

(घ) उपयोग, अनुप्रयोग की रीति और समय के लिए निर्देश तथा फसल की सूची जिस पर उपयोग के लिए वह रजिस्ट्रीकृत है ;

(ङ) मात्रा ;

(च) नाशक जीवमार के प्रत्येक अनुप्रयोग के पश्चात् संभावित पुनः प्रयोग की अवधि और संभावित पूर्व फसल अंतराल ;

(छ) सुरक्षा पूर्वाधानियां : अनुप्रयोग के पश्चात् संदूषित कपड़ों और शरीर के भागों को धोना । अनुप्रयोग के दौरान पूर्ण संरक्षित कपड़ों को पहनना । अनुप्रयोग के दौरान अंतःश्वसन धूमपान, पेय, खाना, या चबाना से दूर रहना ;

(ज) सूत्र की संरचना ;

(झ) प्राथमिक सहायता ;

(ञ) प्रतिविष कथन ;

(ट) विनिर्माता का नाम (यदि व्यक्ति विनिर्माता नहीं है तो वह नाम अधिनियम के अधीन कीटनाशक रजिस्ट्रीकृत है, व्यक्ति और जिसके नाम कीटनाशक रजिस्ट्रीकृत है, के मध्य संबंध और व्यक्ति जिसने विनिर्माण, पैक या वितरण या विक्रय किया है, कथन करें) ;

(ठ) आयातकर्ता और पुनः पैककर्ता ;

(ड) विपणनकर्ता ;

(ढ) कीटनाशक का रजिस्ट्रीकरण संख्या ;

(ण) विनिर्माण अनुज्ञप्ति संख्या ;

(त) बैच संख्या ;

(थ) विनिर्माण की तारीख ;

(द) अवसान की तारीख, जैसे कीटनाशक की तारीख जिस तक वह दक्षता और सुरक्षा बनाए रखता है ;

(ध) कर सहित अधिकतम फुटकर कीमत (अ.फु.की.) ;

(न) आयातन की शुद्ध मात्रा (शुद्ध मात्रा रैपर या अन्य सामग्री के सिवाय होगी । यथास्थिति, भार, मात्रा, क्रियाकलाप की इकाईयों की संख्या के निबंधनों में शुद्ध मात्रा का सही कथन देना होगा । भार और मात्रा मैट्रिक प्रणाली में व्यक्त करें) ;

(प) विषाक्तता वर्गीकरण के अनुसार सावधानियां, संकेत और सावधानियां शब्द ;

(फ) चेतावनी 1 लेबल और पत्रक पर जो वर्णित थे, उनसे भिन्न फसल और नाशक जीव पर उपयोग के लिए नहीं ;

2 पश्च फसल अनुप्रयोग के लिए प्रयुक्त नहीं होगा ;

3 पत्रक के निर्देशानुसार उपयोग के पश्चात् आद्यान को नष्ट करें ;

4 पाली हाऊस और परिरुद्ध क्षेत्रों के लिए निर्देश और मात्रा -- पत्रक पर देखें ।

(ब) कंपनी का नाम, बारकोड, होलोग्राम, ई-मेल पता और ग्राहक देखरेख संख्या ।

आ. **लेबल के दाहिनी ओर**

पैनल की दाईं ओर सात सेंटीमीटर गुणा दस सेंटीमीटर होगी और हिन्दी में कुछ जानकारी अंतर्विष्ट होगी ।

इ. **लेबल के पीछे की ओर :** आद्यान के पीछे की ओर लेबल होगा उस पर लेबल के सामने की ओर दाहिने पैनल पर हिन्दी में अनुदित सामग्री और क्षेत्र की प्रादेशिक भाषा में मुद्रित होगी जहां वह विक्रय के लिए प्रस्तावित है ।

न्यूनतम आकार के लेबल के संबंध में लेबल के नीचे की ओर एक वर्ग सेंटीमीटर से अन्यून आकार के सभी संबंधित सुरक्षा चित्र लिपि (तीसरी अनुसूची में चित्र 1 में निर्दिष्ट) होगी । बड़े आकार के लेबलों के संबंध में आनुपातिक बड़ी चित्र लिपि पैनल के दाहिनी ओर नीचे की ओर होगी । वह लेबल में केवल एक बार मुद्रित होगी ।

IndiaCode

(II) तीन पैनल का लेबल (बोतल के लिए):

(तीन पैनल लेबल का न्यूनतम आकार 210 गुणा सेंटीमीटर होगा)

क. लेबल के सम्मुख :

(अ) पैनल के बाईं ओर का आकार होगा जिस पर क्षेत्रीय भाषा में निम्नलिखित जानकारी अंतर्विष्ट होगी :

(क) कीटनाशी का नाम (ब्रांड नाम या व्यापार चिन्ह का नाम जिसके अधीन कीटनाशी विक्रय किया जा रहा है);

(ख) सामान्य नाम ; अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन या भारतीय मानक संस्थान द्वारा स्वीकृत और यदि कोई सामान्य नाम विद्यमान नहीं है, वास्तविक रासायनिक नाम, जो अत्यधिक निकट की पुष्टि करता हो, के साथ रासायनिक नामकरण के साधारण सिद्धांत के अनुसार दिया गया हो ;

(ग) ''उपयोग से पहले पत्रक पढ़े'' अनुदेश ;

(घ) उपयोग, अनुप्रयोग की रीति और समय के लिए निर्देश तथा फसल की सूची जिस पर उपयोग के लिए वह रजिस्ट्रीकृत है ;

(ङ) मात्रा ;

(च) नाशक जीवमार के प्रत्येक अनुप्रयोग के पश्चात् संभावित पुनः प्रयोग की अवधि और संभावित पूर्व फसल अंतराल ;

(छ) सुरक्षा पूर्वाधानियां : अनुप्रयोग के पश्चात् संदूषित कपड़ों और शरीर के भागों को धोना । अनुप्रयोग के दौरान पूर्ण संरक्षित कपड़ों को पहनना । अनुप्रयोग के दौरान अंतःश्वसन धूमपान, पेय, खाना, या चबाना से दूर रहना ;

(ज) सूत्र की संरचना ;

(झ) प्राथमिक सहायता ;

(ञ) प्रतिविष कथन ;

(ट) विनिर्माता का नाम (यदि विनिर्माता व्यक्ति नहीं है तो वह नाम अधिनियम के अधीन कीटनाशक रजिस्ट्रीकृत है, व्यक्ति और जिसके नाम कीटनाशक रजिस्ट्रीकृत है, के मध्य संबंध और व्यक्ति जिसने विनिर्माण, पैक या वितरण या विक्रय किया है, कथन करें) ;

(ठ) आयातकर्ता और पुनः पैककर्ता ;

(ड) विपणनकर्ता ;

(ढ) कीटनाशक की रजिस्ट्रीकरण संख्या ;

(ण) विनिर्माण अनुज्ञप्ति संख्या ;

(त) बैच संख्या ;

(थ) विनिर्माण की तारीख ;

(द) अवसान की तारीख, जैसे कीटनाशक की तारीख जिस तक वह दक्षता और सुरक्षा बनाए रखता है ;

(ध) कर सहित अधिकतम फुटकर कीमत (अ.फु.की.) ;

(न) आयातन की शुद्ध मात्रा (शुद्ध मात्रा रैपर या अन्य सामग्री के सिवाय होगी । यथास्थिति, भार, मात्रा, क्रियाकलाप की इकाईयों की संख्या के निबंधनों में शुद्ध मात्रा का सही कथन देना होगा । भार और मात्रा मैट्रिक प्रणाली में व्यक्त करें) ;

(प) विषाक्तता वर्गीकरण के अनुसार सावधानियां, संकेत और सावधानियां शब्द ;

(फ) चेतावनी 1 लेबल और पत्रक पर जो वर्णित थे, उनसे भिन्न फसल और नाशक जीव पर उपयोग के लिए नहीं ;

2 पश्च फसल अनुप्रयोग के लिए प्रयुक्त नहीं होगा ;

3 पत्रक के निर्देशानुसार उपयोग के पश्चात् आद्यान को नष्ट करें ;

4 पाली हाऊस और परिरुद्ध क्षेत्रों के लिए निर्देश और मात्रा -- पत्रक पर देखें ।

(ब) कंपनी का नाम, बारकोड, होलोग्राम, ई-मेल पता और ग्राहक देखरेख संख्या ।

आ. मध्य पैनल में उपर्युक्त कुछ जानकारी अंग्रेजी में अंतर्विष्ट होगी ।

इ. पैनल के दायीं ओर उपर्युक्त कुछ जानकारी हिन्दी में अंतर्विष्ट होगी ।

न्यूनतम आकार के लेबल के संबंध में लेबल के नीचे की ओर एक वर्ग सेंटीमीटर से अन्यून आकार के सभी संबंधित सुरक्षा चित्र लिपि (तीसरी अनुसूची में चित्र 1 में निर्दिष्ट) होगी । बड़े आकार के लेबलों के संबंध में आनुपातिक बड़ी चित्र लिपि पैनल के दाहिनी ओर नीचे की ओर होगी । वह लेबल में केवल एक बार मुद्रित होगी ।

1(ii) लेबल पर अंग्रेजी में सात पाइंट (7) से अन्यून फोंट आकार और हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाओं में साढ़े पांच पाइंट (5.5) के फोन्ट आकार का उपयोग करते हुए स्पष्ट रूप से मुद्रित होगी ।

1(iii) यदि आद्यान या पैकेट या थैली छोटे हैं, उत्पाद किसी बाहरी आवरण में पैक होगा जिस पर नियम 19 के उपनियम 1 में यथाअंतर्विष्ट विहित आकार में लेबल मुद्रित होगा ।

1(iv) जहां उत्पाद किसी छोटे पैकेट या आद्यान या थैली में, की दशा में, किसी बड़े पैकेट में पैक हैं, छोटे पैकेट या आद्यान या थैली में पैक किया गया है, बाहरी आवरण पर पांच बिन्दु (5) से अन्यून फोंट आकार में अंग्रेजी और हिन्दी में मुद्रित होगा :-

(क) ब्रांड नाम ;

(ख) सामान्य नाम ;

(ग) विनिर्माता का नाम और पता ;

(घ) आयातीत और पुनः पैकिंग (यदि लागू हो) ;

(ङ) रजिस्ट्रीकरण संख्या ;

(च) विनिर्माता अनुज्ञप्ति संख्या ;

(छ) विनिर्माता का अनुज्ञापत्र ;

(ज) बैच संख्या ;

(झ) विनिर्माण की तारीख ;

(ञ) अवसान की तारीख ;

(ट) शुद्ध अबयब ;

(ठ) ग्राहक संपर्क ब्यौरे ; और

(ड) विशाक्तता के वर्गीकरण के अनुसार सावधानी का प्रतीक और सावधानी के शब्द ।

1(v) तीसरी अनुसूची में दिए गए चित्र II, III,IV और V के माडल लेबल (दो पैनल और तीन पैनल) के अनुसार होगी।

(ख) उपनियम (3) में, ''लेबल के सम्मुख के कुल क्षेत्र का एक बटा सौलह'' शब्दों के स्थान पर, निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे, अर्थात् :-

''पैनल के क्षेत्र का एक बटा सौलह या चार वर्ग सेंटीमीटर, इसमें से जो अधिक हो''

(iii) ''दूसरी अनुसूची'' के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

IndiaCode

"तीसरी अनुसूची
(नियम 19 देखें)
(चित्र 1)

सुरक्षा चित्र लिपि

			
संक्षारक	ज्वलनशील ठोस	ज्वलनशील (जल क्रियाशील)	प्रदाहजनक
			
विस्फोटक	ज्वलनशील द्रव्य	स्वत: ज्वलनशील	आक्सीकरण पदार्थ

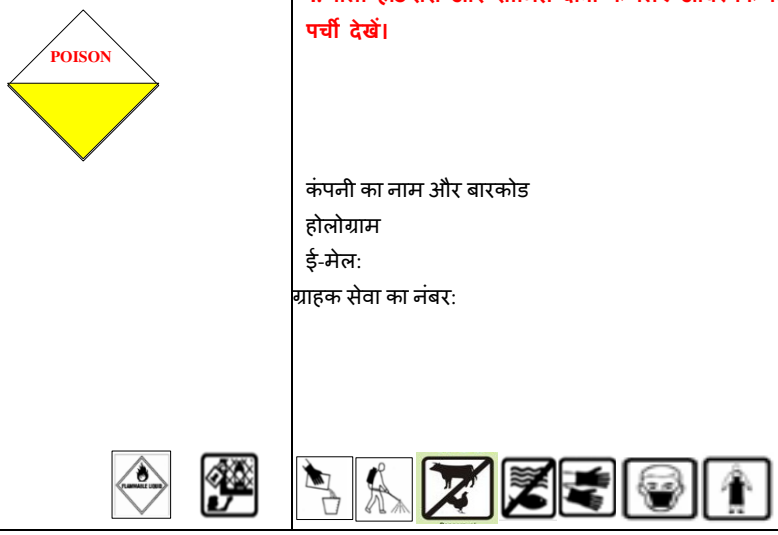


भंडारण, क्रियाकलाप, सलाह और चेतावनी

(चित्र 2)

दो पैनल के लिए माडल लेबल - उच्च विषाक्त कीटनाशक न्यूनतम आकार 130 वर्ग सेंटीमीटर

Brand Name®	ब्रैंड का नाम ®
Registered Trade Mark:	पंजीकृत मार्क
Common name:	सामान्य नाम
Read leaflet before use:	प्रयोग से पहले पर्ची पढ़ लें
List of registered crops and directions for use:	पंजीकृत फसलों के नाम एवं प्रयोग के निर्देश:
Dosage:	ख़ुराक:
Re-entry : PHI:	पुनः प्रवेश: पीएचआई:
Safety: Protective clothing should be worn while mixing and spraying. Wash contaminated clothes and body part after application Avoid inhalation, do not smoke, drink, eat & chew anything during application	सुरक्षा –छिड़काव का मिश्रण करते समय और छिड़काव करते समय शरीर पर पूरे ढकने वाले वस्त्र पहन लें। छिड़काव के बाद गंदे कपड़ों और शरीर के खुले हिस्सों को अच्छी तरह से धो लें। स्प्रे के धुएं को श्वास में न लें। छिड़काव के दौरान धूम्रपान न करें, कुछ न पिएं, खाएं या चबाएं।
Composition:	रचना:
First Aid: Antidote:	प्राथमिक उपचार: विषहर (प्रतिकारक):
Name of the manufacturer: Imported and repacked by : Marketed by: Registration Number: Mfg Lic. No:	निर्माता का नाम: द्वारा आयातित और दुबारा पैक किया जाना: द्वारा बेचा जाना: पंजीकरण संख्या: विनिर्माण लाइसेंस संख्या:
Batch number:	बैच संख्या:
Date of manufacture: Date of expiry:	निर्माण की तिथि: समाप्ति की तिथि:
MRP: Net content volume:	अधिकतम खुदरा मूल्य (कर-सहित) शुद्ध सामग्री की मात्रा:
Warning: 1. Not to be used on Crops and pests other than mentioned on label & Leaflets. **2. Not to be used for Post Harvest Application.** **3. Destroy Container after use as directed on leaflet.** **4. For use in Poly Houses &confined areas- see leaflet**	**चेतावनी: 1. लेबल और पर्ची पर उल्लिखित न होने की स्थिति में इसका प्रयोग फसल और पीड़कों पर न करें।** **2. फ़सल की पैदावार के बाद इसका प्रयोग नहीं करें।** **3. पर्ची पर निर्दिष्ट उल्लेख के अनुसार प्रयोग के बाद कंटेनर (डिब्बे) को नष्ट कर दें।** **4. पॉली हाऊसेस और सीमित क्षेत्रों के लिए आवश्यक निर्देश और ख़ुराक – पर्ची देखें।**
Company's name and barcode Hologram E mail : customer care number:	कंपनी का नाम और बारकोड होलोग्राम ई-मेल: ग्राहक सेवा का नंबर:
Keep away from heat & open flame	
Keep out of the reach of children	



(चित्र 3)

दो पैनल के लिए माडल लेबल - अत्यधिक विषाक्त कीटनाशक न्यूनतम आकार 130 वर्ग सेंटीमीटर

Brand Name®	ब्रैंड का नाम ®
Registered Trade Mark:	पंजीकृत मार्क
Common name:	सामान्य नाम
Read leaflet before use:	प्रयोग से पहले पर्ची पढ़ लें
List of registered crops and directions for use:	पंजीकृत फसलों के नाम एवं प्रयोग के निर्देश:
Dosage:	ख़ुराक:
Re-entry : PHI:	पुनःप्रवेश: पीएचआई:
Safety: Protective clothing should be worn while mixing and spraying. Wash contaminated clothes and body part after application Avoid inhalation, **do not** smoke, drink, eat & chew anything during application	सुरक्षा – छिड़काव का मिश्रण करते समय और छिड़काव करते समय शरीर पर पूरे ढकने वाले वस्त्र पहन लें। छिड़काव के बाद गंदे कपड़ों और शरीर के खुले हिस्सों को अच्छी तरह से धो लें। स्प्रे के धुएं को श्वास में न लें। छिड़काव के दौरान धूम्रपान न करें, कुछ न पिएं, खाएं या चबाएं।
Composition:	रचना:
First Aid:	प्राथमिक उपचार:
Antidote:	विषहर (प्रतिकारक):
Name of the manufacturer:	निर्माता का नाम:
Imported and repacked by :	द्वारा आयातित और दुबारा पैक किया जाना:
Marketed by:	द्वारा बेचा जाना:
Registration Number:	पंजीकरण संख्या:
Mfg Lic. No:	विनिर्माण लाइसेंस संख्या:
Batch number:	बैच संख्या:
Date of manufacture: Date of expiry: MRP: Net content volume:	निर्माण की तिथि: समाप्ति की तिथि: अधिकतम खुदरा मूल्य (कर-सहित): शुद्ध सामग्री की मात्रा:
Warning: 1. Not to be used on Crops and pests other than mentioned on label & Leaflets. **2. Not to be used for Post Harvest Application.** **3. Destroy Container after use as directed on leaflet.** **4. For use in Poly Houses & confined areas- see leaflet**	**चेतावनी: 1. लेबल और पर्ची पर उल्लिखित न होने की स्थिति में इसका प्रयोग फसल और पीड़कों पर न करें।** **2. फ़सल की पैदावार के बाद इसका प्रयोग नहीं करें।** **3. पर्ची पर निर्दिष्ट उल्लेख के अनुसार प्रयोग के बाद कंटेनर (डिब्बे) को नष्ट कर दें।** **4. पॉली हाऊसेस और सीमित क्षेत्रों के लिए आवश्यक निर्देश और ख़ुराक – पर्ची देखें।**
	
Company's name and barcode Hologram E mail : customer care number:	कंपनी का नाम और बारकोड होलोग्राम ई-मेल: ग्राहक सेवा का नंबर:
Keep away from heat & open flame	
Keep out of the reach of children	





indiacode

(चित्र 4)

तीन पैनल के लिए माडल लेबल - उच्च विषाक्त कीटनाशक न्यूनतम आकार 210 वर्ग सेंटीमीटर

Panel for text in regional languages	**Brand Name®** Registered Trade Mark: Common name: Read leaflet before use: List of registered crops and directions for use: Dosage: Re-entry : PHI: Safety: Protective clothing should be worn while mixing and spraying. Wash contaminated clothes and body part after application Avoid inhalation, **do not** smoke, drink, eat & chew anything during application Composition: First Aid: Antidote: Name of the manufacturer: Imported and repacked by : Marketed by: Registration Number: MfgLic. No: Batch number: Date of manufacture: Date of expiry: MRP: Net content: **Warning: 1. Not to be used on Crops and pests other than mentioned on label & Leaflets.** **2. Not to be used for Post Harvest Application.** **3. Destroy Container after use as directed on leaflet.** **4. For use in Poly Houses & confined areas- see leaflet** POISON Company's name and barcode Hologram E mail : customer care number: Keep away from heat & open flame **Keep out of the reach of children** 	ब्रैंड का नाम ® पंजीकृत मार्क सामान्य नाम प्रयोग से पहले पर्ची पढ़ लें पंजीकृत फसलों के नाम एवं प्रयोग के निर्देश: ख़ुराक: पुनःप्रवेश: पीएचआई: सुरक्षा- छिड़काव का मिश्रण करते समय और छिड़काव करते समय शरीर पर पूरे ढकने वाले वस्त्र पहन लें। छिड़काव के बाद गंदे कपड़ों और शरीर के खुले हिस्सों को अच्छी तरह से धो लें। स्प्रे के धुएं को श्वास में न लें। छिड़काव के दौरान धूम्रपान न करें, कुछ न पिएं, खाएं या चबाएं। रचना: प्राथमिक उपचार: विषहर (प्रतिकारक): निर्माता का नाम: द्वारा आयातित और दुबारा पैक किया जाना: द्वारा बेचा जाना: पंजीकरण संख्या: विनिर्माण लाइसेंस संख्या: बैच संख्या: निर्माण की तिथि: समाप्ति की तिथि: अधिकतम खुदरा मूल्य (कर-सहित) शुद्ध सामग्री की मात्रा: **चेतावनी: 1. लेबल और पर्ची पर उल्लिखित न होने की स्थिति में, इसका प्रयोग फसल और पीड़कों पर न करें।** **2. फ़सल की पैदावार के बाद इसका प्रयोग नहीं करें।** **3. पर्ची पर निर्दिष्ट उल्लेख के अनुसार प्रयोग के बाद कंटेनर (डिब्बे) को नष्ट कर दें।** **4. पॉली हाऊसेस और सीमित क्षेत्रों के लिए आवश्यक निर्देश और ख़ुराक – पर्ची देखें।** कंपनी का नाम और बारकोड होलोग्राम ई-मेल: ग्राहक सेवा का नंबर: 

IndiaCode

(चित्र 5)

तीन पैनल के लिए माडल लेबल - अत्यधिक विषाक्त कीटनाशक न्यूनतम आकार 210 वर्ग सेंटीमीटर

Panel for text in regional languages	**Brand Name®** Registered Trade Mark: Common name: Read leaflet before use: List of registered crops and directions for use: Dosage: Re-entry : PHI: Safety:Protective clothing should be worn while mixing and spraying.Wash contaminated clothes and body part after application Avoid inhalation, **do not** smoke, drink, eat & chew anything during application Composition: First Aid: Antidote: Name of the manufacturer: Imported and repacked by : Marketed by: Registration Number: MfgLic. No: Batch number: Date of manufacture: Date of expiry: MRP: Net content: **Warning: 1. Not to be used on Crops and pests other than mentioned on label & Leaflets. 2. Not to be used for Post Harvest Application. 3. Destroy Container after use as directed on leaflet. 4. For use in Poly Houses & confined areas- see leaflet**  Company's name and barcode Hologram E mail : customer care number: Keep away from heat & open flame **Keep out of the reach of children** 	ब्रैंड का नाम ® पंजीकृत मार्क सामान्य नाम प्रयोग से पहले पर्ची पढ़ लें पंजीकृत फसलों के नाम एवं प्रयोग के निर्देश: ख़ुराक: पुनःप्रवेश: पीएचआई: सुरक्षा- छिड़काव का मिश्रण करते समय और छिड़काव करते समय शरीर पर पूरे ढकने वाले वस्त्र पहन लें। छिड़काव के बाद गंदे कपड़ों और शरीर के खुले हिस्सों को अच्छी तरह से धो लें। स्प्रे के धुएं को श्वास में न लें। छिड़काव के दौरान धूम्रपान न करें, कुछ न पिएं, खाएं या चबाएं। रचना: प्राथमिक उपचार: विषहर (प्रतिकारक): निर्माता का नाम: द्वारा आयातित और दुबारा पैक किया जाना: द्वारा बेचा जाना: पंजीकरण संख्या: विनिर्माण लाइसेंस संख्या: बैच संख्या: निर्माण की तिथि: समाप्ति की तिथि: अधिकतम खुदरा मूल्य (कर-सहित) शुद्ध सामग्री की मात्रा: **चेतावनी: 1. लेबल और पर्ची पर उल्लिखित न होने की स्थिति में, इसका प्रयोग फसल और पीड़कों पर न करें 2. फ़सल की पैदावार के बाद इसका प्रयोग नहीं करें। 3. पर्ची पर निर्दिष्ट उल्लेख के अनुसार प्रयोग के बाद कंटेनर (डिब्बे) को नष्ट कर दें। 4. पॉली हाऊसेस और सीमित क्षेत्रों के लिए आवश्यक निर्देश और ख़ुराक – पर्ची देखें।** कंपनी का नाम और बारकोड होलोग्राम ई-मेल: ग्राहक सेवा का नंबर: 

IndiaCode

[फा सं 13035/21/2013-पी पी-1]

उत्पल कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा. का. नि. 1650(अ) तारीख 19 अक्तूबर, 1971 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संख्यांक सा का नि 474(अ) ताराख 11 जुलाई, 2013 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Co-operation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th November, 2014.

G.S.R.797(E).—Whereas the draft rules further to amend the Insecticides Rules, 1971 which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by Section 36 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968) in consultation with the Central Insecticides Board, were published in the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture and Cooperation) vide number G.S.R. 151(E), dated the 5th March, 2014 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section-3, Sub-Section (i), dated the 5th March, 2014, inviting objectives or suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of forty - five days from the date on which the copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 5th March, 2014;

And whereas, objections and suggestions received from the public in respect of the said notification were duly considered;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 36 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government after consultation with the Central Insecticides Board, hereby makes the following rules further to amend the Insecticides Rules, 1971, namely:-

RULES

1. (1) These rules may be called the Insecticides (Amendment) Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Insecticides Rules, 1971 (hereinafter referred to as the said rules),

(i) in rule 18, in sub rule (l), after clause (g), the following clauses shall be inserted, -namely:-

(h) the information furnished on the label in English and Hindi shall be translated and published on the leaflet in Hindi, English and in the regional language of the region where the product is proposed for sale;

(i) the leaflet shall be printed legibly and font size of the text shall be not less than eight points (8) or 2 mm;

(j) safety pictograms provided on the label and others, if any, shall also be printed on the leaflet;

(k) leaflet shall contain detailed advice to physicians for treatment in cases of poisoning;

(l) details of label claims and directions for use with reference to target organism and crop shall be printed on the leaflet;

(m) good practices relating to pesticide application techniques covering the following shall be provided for each crop, namely:-

(i) weather conditions;

(ii) soil;

(iii) crops stage for application;

(iv) application techniques;

(v) equipment type;

(vi) nozzle type;

(vii) dosage;

(viii) instructions for mixing;

(ix) re entry period ;

(x) pre-harvest interval;

(xi) application timings ;

(xii) frequency including maximum number of sprays ;

(n) stages during which pesticides should not be applied on any crop shall be furnished;

(o) precautions to be taken to avoid harm to the beneficial insects like honey bees and natural enemies of pests shall be furnished;

(p) the leaflet shall also contain the practices to be followed for usage of pesticides in confined areas, such as glasshouses, polyhouses, nursery beds, storage structures, fumigation chambers and public dwellings;

(q) the warning directing the users not to re-use the containers – "Dangerous to re-use empty containers" shall be printed in bold letters;

(r) directions for safe disposal of used containers shall be provided;

(s) instructions on leaflets shall be appropriately coloured or printed in bold to draw attention of all users;

(t) company shall furnish all information about the label and leaflet on their website and the address of the website shall be printed on the leaflet;

(u) the leaflet for the pesticide formulations shall be inserted or kept in between primary and secondary packing or pouch as per clause 1.(i) of rule 19.";

(ii) in rule 19, -

(a) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(1) (i) The label shall have minimum of two panels in respect of rectangular containers and three panels in respect of bottles. The minimum size of the two panel label to be affixed on the face of the container shall be not less than 130 square centimetres. The minimum size of the three panel label shall not be less than 210 square centimetres.

The following information shall be printed on the label:-

(I) Two panel label **for square /** rectangular containers or pouches):

A. Face of the label:

The panel on the left side shall be six centimetres X ten centimetres and shall contain the following information in English:

(a) name of insecticide (brand name or trade mark under which the insecticide is sold);
(b) common name; accepted by the International Standards Organisation or the Indian Standards Institutions and if no common name exists, the correct chemical name which conforms most closely with the generally accepted rules of chemical nomenclature shall be given;
(c) instructions to "Read Leaflet Before Use";
(d) directions for Use, manner and time of application and the list of crops on which it is registered to apply;
(e) dosage;
(f) optimal re-entry period after each application of pesticide and the optimum pre- harvest interval;
(g) safety precautions : Wash contaminated clothes and parts of the body after application. Wear full protective clothing during application. Avoid inhalation, do not smoke, drink, eat and chew anything during application;
(h) composition of the formulation;
(i) first aid;
(j) antidote statement;
(k) name of the manufacturer (if the manufacturer is not the person in whose name the insecticide is registered under the Act, the relationship between the person in whose name the insecticide has been registered and the person who manufactures, packs or distributes or sells shall be stated);
(l) imported and re-packed by;
(m) marketed by;
(n) registration number of the insecticide;
(o) manufacturing license number;
(p) batch number;
(q) date of manufacture;
(r) expiry date, i.e. up to the date the insecticide shall retain its efficacy and safety;
(s) Maximum Retail Price (M.R.P.) Inclusive of taxes;
(t) net content of volume. (The net contents shall be exclusive of wrapper or other material. The correct statement of the net content in terms of weight, measure, number of units of activity, as the case may be, shall be given. The weight and volume shall be expressed in the metric system);
(u) cautionary symbol as per the toxicity classification and cautionary words;
(v) Warning *1. Not to be used on crops and pests other than those mentioned on label and leaflets*

2. Not to be used for Post-Harvest Applications.

3. Destroy the container after use as directed on leaflet.

4. Directions and dosage for poly houses and confined area - Refer the leaflet.

w. Company's name, barcode, hologram, e-mail id and customer care numbers.

B. Right side of the label:

The panel on the right side shall be seven centimetres X ten centimetres and shall contain the same information as above, in Hindi.

(C) The rear side of the Label: There shall be a label on the rear side of the container, on which matter printed on right panel of the face of the label in Hindi shall be translated and printed in the regional language(s) of the area where it is proposed for sale.

All relevant safety pictograms (**refer picture I in the THIRD SCHEDULE**) of size not less than one square centimetre at the bottom of the label in respect of labels of minimum size. Pictograms shall be proportionately bigger in respect of labels of bigger size at the bottom of the right side panel. They shall be printed only once on the label.

(II) **II. THREE PANEL LABEL (for bottles):**

(Minimum size of the three panel label shall be 210 square centimetres)

(A) The panel on the left side shall contain the following information in at least one regional language:-

(a) name of insecticide (brand name or trade mark under which the insecticide is sold);
(b) common name accepted by the International Standards Organisation or the Indian Standards Institutions and if no common name exists, the correct chemical name which conforms most closely with the generally accepted rules of chemical nomenclature shall be given;
(c) instructions to "Read leaflet before use";
(d) directions for use: manner and time of application and the list of crops on which it is registered to apply ;
(e) dosage;
(f) optimal re-entry period after each application of pesticide and the optimum Pre- Harvest Interval;
(g) safety Precautions : wash contaminated clothes and parts of the body after application. Wear full protective clothing during application. Avoid inhalation, do not smoke, drink, eat and chew anything during application. Wear full protective clothing during application.
(h) composition of the formulation;
(i) First-aid;
(j) antidote statement;
(k) name of the manufacturer (if the manufacturer is not the person in whose name the insecticide is registered under the Act, the relationship between the person in whose name the insecticide has been registered and the person who manufactures, packs or distributes or sells shall be stated);

(l) imported and re- packed by;

(m) marketed by;

(n) registration number of the insecticide;

(o) manufacturing license number;

(p) batch number;

(q) date of manufacture;

(r) expiry date, i.e. up to the date the insecticide shall retain its efficiency and safety;

(s) maximum Retail Price (M.R.P.) Inclusive of taxes;

(t) net content of volume. (The net contents shall be exclusive of wrapper or other material. The correct statement of the net content in terms of weight, measure, number of units of activity, as the case may be, shall be given. The weight and volume shall be expressed in the metric system);

(u) cautionary symbol as per the toxicity classification and cautionary words;

(v) Warning *1. Not to be used on crops and pests other than those mentioned on label and leaflets*

2. Not to be used for Post-Harvest Application.

IndiaCode

3. Destroy the container after use as directed on leaflet;

4. Directions and dosage for poly houses and confined area - Refer the leaflet.

(w). Company's name, barcode, hologram, e - mail id and customer care numbers.

(B)The central panel shall contain the same information as above, in English.

(C) The right side of the panel shall contain the same information as above, **in Hindi**.

All relevant safety pictograms (refer picture I in the THIRD SCHEDULE) of size not less than one square centimetre at the bottom of the label in respect of labels of minimum size. Pictograms shall be proportionately bigger in respect of labels of bigger size at the bottom of the right side panel. They may be used only once on the label.

1(ii) The label shall be printed legibly using font size of not less than seven points (7) in English and five and half points (5.5) in Hindi and regional languages.

1(iii) If the container or packet or sachet is small, the product should be packed in an outer cover on which label of prescribed size as per contents of clause (i) of sub rule (1) of rule 19 shall be printed.

1(iv) In case where small sachets, packets or containers that contains the product are packed in a larger packet, the following details shall be printed with indelible ink on the outer surface in English and Hindi and in font size of not less than five points (5) :-

(a) brand name;

(b) common name;

(c) manufacturer's name and address;

(d) imported and re-packed by (if applicable);

(e) registration number;

(f) manufacturer's license number;

(g) batch number;

(h) manufacturing date;

(i) expiry date;

(j) maximum retail price (MRP);

(k) net content ;

(l) customer care details; and

(m) cautionary symbol as per the toxicity classification and cautionary words.

IndiaCode

1(v) The model labels (two panel and three panel) shall be as per the pictures II, III, IV & V given in the THIRD SCHEDULE;

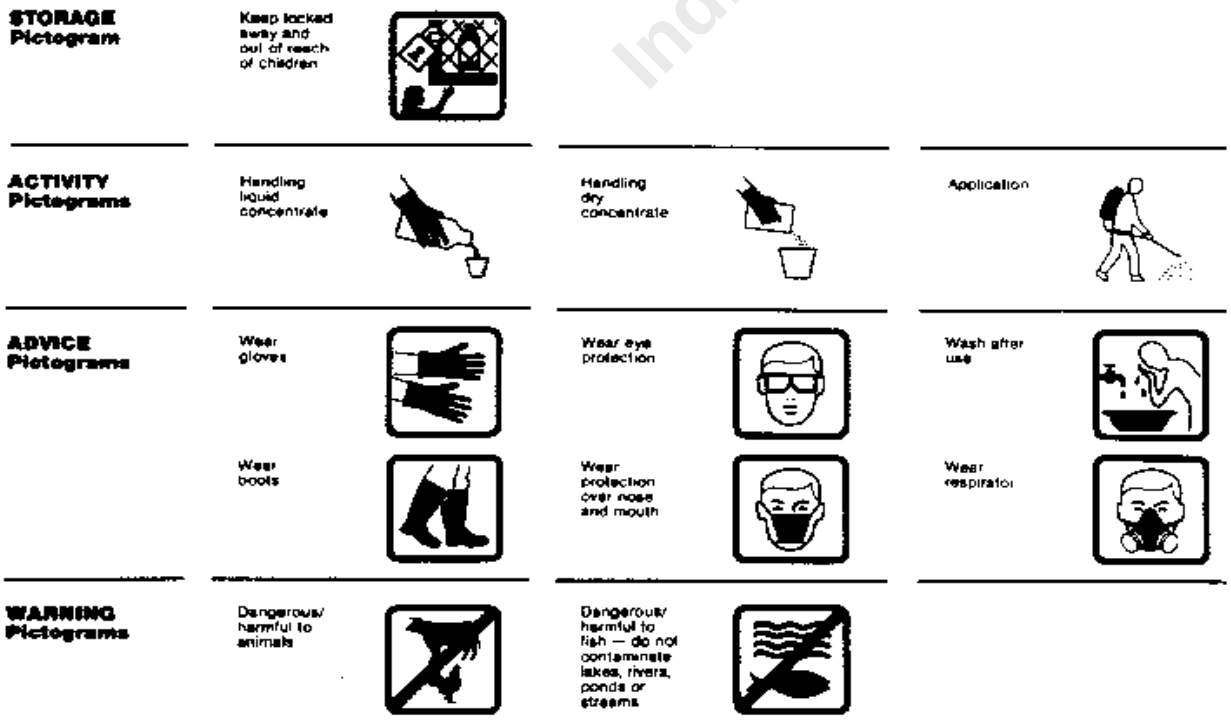
(b) in sub-rule (3), for the words "one sixteenth of the total area of the face of the label" the following words shall be substituted, namely:-

"one-sixteenth of the area of the panel or four square centimetres whichever is greater";

(iii) after the 'SECOND SCHEDULE', the following SCHEDULE shall be inserted, namely:-

"Third Schedule"
(See Rule 19)
(Picture I)
SAFETY PICTOGRAM

			
CORROSIVE	**FLAMMABLE SOLID**	**FLMMABLE (WATER REACTIVE)**	**IRRITANT**
			
EXPLOSIVE	**FLAMMABLE LIQUID**	**SPONTANEOUS COMBUSTIBLE**	**OXIDIZING SUBSTANCE**



STORAGE, ACTIVITY, ADVICE AND WARNING

(Picture II)

Model label for two panel – Highly toxic pesticides . Minimum size -130 square centimeters

Brand Name® Registered Trade Mark: Common name: Read leaflet before use: List of registered crops and directions for use: Dosage: Re-entry : PHI: Safety: Protective clothing should be worn while mixing and spraying. Wash contaminated clothes and body part after application Avoid inhalation, do not smoke, drink, eat & chew anything during application Composition: First Aid: Antidote: Name of the manufacturer: Imported and repacked by : Marketed by: Registration Number: Mfg Lic. No: Batch number: Date of manufacture: Date of expiry: MRP: Net content volume: **Warning: 1. Not to be used on Crops and pests other than mentioned on label & Leaflets.** **2. Not to be used for Post Harvest Application.** **3. Destroy Container after use as directed on leaflet.** **4. For use in Poly Houses &confined areas- see leaflet** POISON Company's name and barcode Hologram E mail : customer care number: Keep away from heat & open flame **Keep out of the reach of children**	ब्रैंड का नाम ® पंजीकृत मार्क सामान्य नाम प्रयोग से पहले पर्ची पढ़ लें पंजीकृत फसलों के नाम एवं प्रयोग के निर्देश: ख़ुराक: पुनः प्रवेश: पीएचआई: सुरक्षा – छिड़काव का मिश्रण करते समय और छिड़काव करते समय शरीर पर पूरे ढकने वाले वस्त्र पहन लें। छिड़काव के बाद गंदे कपड़ों और शरीर के खुले हिस्सों को अच्छी तरह से धो लें। स्प्रे के धुएं को श्वास में न लें। छिड़काव के दौरान धूम्रपान न करें, कुछ न पिएं, खाएं या चबाएं। रचना: प्राथमिक उपचार: विषहर (प्रतिकारक): निर्माता का नाम: द्वारा आयातित और दुबारा पैक किया जाना: द्वारा बेचा जाना: पंजीकरण संख्या: विनिर्माण लाइसेंस संख्या: बैच संख्या: निर्माण की तिथि: समाप्ति की तिथि: अधिकतम खुदरा मूल्य (कर-सहित) शुद्ध सामग्री की मात्रा: **चेतावनी: 1. लेबल और पर्ची पर उल्लिखित न होने की स्थिति में इसका प्रयोग फसल और पीड़कों पर न करें।** **2. फ़सल की पैदावार के बाद इसका प्रयोग नहीं करें।** **3. पर्ची पर निर्दिष्ट उल्लेख के अनुसार प्रयोग के बाद कंटेनर (डिब्बे) को नष्ट कर दें।** **4. पॉली हाऊसेस और सीमित क्षेत्रों के लिए आवश्यक निर्देश और ख़ुराक – पर्ची देखें।** कंपनी का नाम और बारकोड होलोग्राम ई-मेल: ग्राहक सेवा का नंबर:

IndiaCode

(Picture III)

Model label for two panel – Extremely toxic pesticides . Minimum size -130 square centimeters

Brand Name®	ब्रैंड का नाम ®
Registered Trade Mark:	पंजीकृत मार्क
Common name:	सामान्य नाम
Read leaflet before use:	प्रयोग से पहले पर्ची पढ़ लें
List of registered crops and directions for use:	पंजीकृत फसलों के नाम एवं प्रयोग के निर्देश:
Dosage:	ख़ुराक:
Re-entry : PHI:	पुनःप्रवेश: पीएचआई:
Safety: Protective clothing should be worn while mixing and spraying. Wash contaminated clothes and body part after application Avoid inhalation, **do not** smoke, drink, eat & chew anything during application	सुरक्षा – छिड़काव का मिश्रण करते समय और छिड़काव करते समय शरीर पर पूरे ढकने वाले वस्त्र पहन लें। छिड़काव के बाद गंदे कपड़ों और शरीर के खुले हिस्सों को अच्छी तरह से धो लें। स्प्रे के धुएं को श्वास में न लें। छिड़काव के दौरान धूम्रपान न करें, कुछ न पिएं, खाएं या चबाएं।
Composition:	रचना:
First Aid:	प्राथमिक उपचार:
Antidote:	विषहर (प्रतिकारक):
Name of the manufacturer:	निर्माता का नाम:
Imported and repacked by :	द्वारा आयातित और दुबारा पैक किया जाना:
Marketed by:	द्वारा बेचा जाना:
Registration Number:	पंजीकरण संख्या:
Mfg Lic. No:	विनिर्माण लाइसेंस संख्या:
Batch number:	बैच संख्या:
Date of manufacture: Date of expiry: MRP: Net content volume:	निर्माण की तिथि: समाप्ति की तिथि: अधिकतम खुदरा मूल्य (कर-सहित): शुद्ध सामग्री की मात्रा:
Warning: 1. Not to be used on Crops and pests other than mentioned on label & Leaflets. **2. Not to be used for Post Harvest Application.** **3. Destroy Container after use as directed on leaflet.** **4. For use in Poly Houses & confined areas- see leaflet**	**चेतावनी: 1. लेबल और पर्ची पर उल्लिखित न होने की स्थिति में इसका प्रयोग फसल और पीड़कों पर न करें।** **2. फ़सल की पैदावार के बाद इसका प्रयोग नहीं करें।** **3. पर्ची पर निर्दिष्ट उल्लेख के अनुसार प्रयोग के बाद कंटेनर (डिब्बे) को नष्ट कर दें।** **4. पॉली हाऊसेस और सीमित क्षेत्रों के लिए आवश्यक निर्देश और ख़ुराक – पर्ची देखें।**
	
Company's name and barcode Hologram E mail : customer care number:	कंपनी का नाम और बारकोड होलोग्राम ई-मेल: ग्राहक सेवा का नंबर:
Keep away from heat & open flame	
Keep out of the reach of children	
	

IndiaCode

(Picture IV)

Model label for three panel – Highly toxic pesticides. Minimum size- 210 square centimeters

Panel for text in regional languages	**Brand Name®** Registered Trade Mark: Common name: Read leaflet before use: List of registered crops and directions for use: Dosage: Re-entry : PHI: Safety: Protective clothing should be worn while mixing and spraying. Wash contaminated clothes and body part after application Avoid inhalation, **do not** smoke, drink, eat & chew anything during application Composition: First Aid: Antidote: Name of the manufacturer: Imported and repacked by : Marketed by: Registration Number: MfgLic. No: Batch number: Date of manufacture: Date of expiry: MRP: Net content: **Warning: 1. Not to be used on Crops and pests other than mentioned on label & Leaflets.** **2. Not to be used for Post Harvest Application.** **3. Destroy Container after use as directed on leaflet.** **4. For use in Poly Houses & confined areas- see leaflet** POISON Company's name and barcode Hologram E mail : customer care number: Keep away from heat & open flame **Keep out of the reach of children**	ब्रैंड का नाम ® पंजीकृत मार्क सामान्य नाम प्रयोग से पहले पर्ची पढ़ लें पंजीकृत फसलों के नाम एवं प्रयोग के निर्देश: ख़ुराक: पुनःप्रवेश: पीएचआई: सुरक्षा- छिड़काव का मिश्रण करते समय और छिड़काव करते समय शरीर पर पूरे ढकने वाले वस्त्र पहन लें। छिड़काव के बाद गंदे कपड़ों और शरीर के खुले हिस्सों को अच्छी तरह से धो लें। स्प्रे के धुएं को श्वास में न लें। छिड़काव के दौरान धूम्रपान न करें, कुछ न पिएं, खाएं या चबाएं। रचना: प्राथमिक उपचार: विषहर (प्रतिकारक): निर्माता का नाम: द्वारा आयातित और दुबारा पैक किया जाना: द्वारा बेचा जाना: पंजीकरण संख्या: विनिर्माण लाइसेंस संख्या: बैच संख्या: निर्माण की तिथि: समाप्ति की तिथि: अधिकतम खुदरा मूल्य (कर-सहित) शुद्ध सामग्री की मात्रा: **चेतावनी: 1. लेबल और पर्ची पर उल्लिखित न होने की स्थिति में, इसका प्रयोग फसल और पीड़कों पर न करें।** **2. फ़सल की पैदावार के बाद इसका प्रयोग नहीं करें।** **3. पर्ची पर निर्दिष्ट उल्लेख के अनुसार प्रयोग के बाद कंटेनर (डिब्बे) को नष्ट कर दें।** **4. पॉली हाऊसेस और सीमित क्षेत्रों के लिए आवश्यक निर्देश और ख़ुराक – पर्ची देखें।** कंपनी का नाम और बारकोड होलोग्राम ई-मेल: ग्राहक सेवा का नंबर:

IndiaCode

(Picture V)

Model label for three panel – Extremely toxic pesticides. Minimum size- 210 square centimeters

Panel for text in regional languages	**Brand Name®** Registered Trade Mark: Common name: Read leaflet before use: List of registered crops and directions for use: Dosage: Re-entry : PHI: Safety:Protective clothing should be worn while mixing and spraying.Wash contaminated clothes and body part after application Avoid inhalation, **do not** smoke, drink, eat & chew anything during application Composition: First Aid: Antidote: Name of the manufacturer: Imported and repacked by : Marketed by: Registration Number: MfgLic. No: Batch number: Date of manufacture: Date of expiry: MRP: Net content: **Warning: 1. Not to be used on Crops and pests other than mentioned on label & Leaflets. 2. Not to be used for Post Harvest Application. 3. Destroy Container after use as directed on leaflet. 4. For use in Poly Houses & confined areas- see leaflet** POISON Company's name and barcode Hologram E mail : customer care number: Keep away from heat & open flame **Keep out of the reach of children**	ब्रैंड का नाम ® पंजीकृत मार्क सामान्य नाम प्रयोग से पहले पर्ची पढ़ लें पंजीकृत फसलों के नाम एवं प्रयोग के निर्देश: ख़ुराक: पुनःप्रवेश: पीएचआई: सुरक्षा- छिड़काव का मिश्रण करते समय और छिड़काव करते समय शरीर पर पूरे ढकने वाले वस्त्र पहन लें। छिड़काव के बाद गंदे कपड़ों और शरीर के खुले हिस्सों को अच्छी तरह से धो लें। स्प्रे के धुएं को श्वास में न लें। छिड़काव के दौरान धूम्रपान न करें, कुछ न पिएं, खाएं या चबाएं। रचना: प्राथमिक उपचार: विषहर (प्रतिकारक): निर्माता का नाम: द्वारा आयातित और दुबारा पैक किया जाना: द्वारा बेचा जाना: पंजीकरण संख्या: विनिर्माण लाइसेंस संख्या: बैच संख्या: निर्माण की तिथि: समाप्ति की तिथि: अधिकतम खुदरा मूल्य (कर-सहित) शुद्ध सामग्री की मात्रा: **चेतावनी: 1. लेबल और पर्ची पर उल्लिखित न होने की स्थिति में, इसका प्रयोग फसल और पीड़कों पर न करें 2. फ़सल की पैदावार के बाद इसका प्रयोग नहीं करें। 3. पर्ची पर निर्दिष्ट उल्लेख के अनुसार प्रयोग के बाद कंटेनर (डिब्बे) को नष्ट कर दें। 4. पॉली हाऊसेस और सीमित क्षेत्रों के लिए आवश्यक निर्देश और ख़ुराक – पर्ची देखें।** कंपनी का नाम और बारकोड होलोग्राम ई-मेल: ग्राहक सेवा का नंबर:

IndiaCode

[F. No. 13035/21/2013-PP.I]
UTPAL KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 1650(E), dated the 19th October, 1971 and lastly amended *vide* number G.S.R. 474(E), dated the 11th July, 2013.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.